जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बालोतरा

फोन नं. 02988–294119 (dlsa3balotra@gmail.com)

क्रमांक / संविदा कर्मचारी / 2025 / 01 दिनांक :– 12/02/2025

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर व सिवाना तथा स्थायी लोक अदालत कार्यालय बालोतरा में 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों / विपरीत प्रतिनियुक्ति पद संविदा सेवाऐं निम्नानुसार ली जानी हैं–

क.सं.	प्राधिकरण / समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा	04
2	स्थायी लोक अदालत बालोतरा	02
3	तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर	01
4	तालुका विधिक सेवा समिति सिवाना	01

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश कमांक रालसा / संस्था–संविदा सेवा–वाहन / 2025 / 65 दिनांक 04.02.2025 की पालना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026) तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, की अवधि के लिए जो भी पहले हो के लिए उक्त रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों / राज्य सरकार के विभागो / पीएसयू से विपरित प्रतिनियुक्त पर संविदा पर सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों / निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालत में रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित रिक्त पदों पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 25.02.2025 को 4.00 पी.एम. तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, बालोतरा की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/barmer/ balotra से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा

क्रमांक / सविंदा / 2025 / 73–82 दिनांक :– 12/02/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा
3. श्रीमान् अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बालोतरा
4 जिला कलेक्टर, बालोतरा को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत्।
5 तालुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर / सिवाना / चौहटन / गुडामालानी / पचपदरा
6 जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर को अखबार में प्रकाशन हेतु।
7 जिला नियोजन अधिकारी, बाड़मेर
8. आयुक्त नगर परिषद बालोतरा
9 सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा को जिला न्यायालय, बालोतरा की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
10 नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा (राज.)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा (राज.)

(राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथिः– ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर :– ....
....
....
5. आयु (दिनांक 31.03.2022) :– .... वर्ष .... माह .... दिन
6. अर्हताएं :– ....
7. मूल विभाग का नाम :– ....
....
8. धारित पद :– ....
....
9. अनुभव :– ....
....
10. मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) ....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) ....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1).. (2)..(3)..
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं..

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

वितरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती .... रूपये .... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील